संख्या–728 / 35–4–2014

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर,2014

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में छिबरामऊ पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्य को रु. 2192.08 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 876.83 लाख (रूपये आठ करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम होगीः–

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय पीएफएडी / ईएफसी के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना / योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

3– लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन / ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अंदर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा और कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम सग्रह भाग–6 के अध्याय –12 के प्रस्तर –318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था (जल निगम) द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

6– नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7– बाट–आउट आईटम्स्का क्रय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

8– विद्युत एवं यान्त्रिक कार्यों से संबंधित पम्पिंग पलान्ट में अन्य विद्युत उपकरणों का क्रय न्यूनतम लागत पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

9– प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

10– परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यक्तानुसार जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित करके व्यय की जायेगी।

11– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

13– जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

14– कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

15– यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

16– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

17– परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त इसके रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।

18– निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टयों/ मानकों के अनुरुप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

19– अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20– प्रश्नगत कार्यों के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत– लेखाशीर्ष 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–01–जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाले जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–1212/दस–2014 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

22/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्याः 728(1)/35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुखसचिव/सचिव,ग्राम्य विकास/कृषि विपणन/कृषि विभाग/नगर विकास विभाग।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, कानपुर।
7– मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
8– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10–गार्ड फाईल
11–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
12–राज्य योजना आयोग–1
13–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से,

22/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।